कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12864/2020 दिनांक :– 23.12.20

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।

विषयः– वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 रिशफल मण्डल आवंटन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त याचिकार्थियों के कार्यमुक्त/कार्यग्रहण बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा, 2016 में चयनित अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 815/19 राज्य बनाम पूनम शर्मा में पारित समेकित निर्णय दिनांक 29.08.2019 की पालना में विभाग द्वारा दिनांक 14.07.2020 को किये गये रिशफल मण्डल आवंटन के क्रम में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया।

तत्पश्चात उक्त याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की पालना में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.09.2020 के क्रम में याचिकार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को आपके कार्यालय स्तर से निस्तारित किया जा चुका है। किन्तु कतिपय याचिकार्थियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनके अभ्यावेदनों का निस्तारण नहीं किया जा सका तथा इन याचिकार्थियों द्वारा पूर्व आवंटित मण्डल से कार्यमुक्त होकर नवीन मण्डल में कार्यग्रहण भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 रिशफल मण्डल आवंटन में जिन कार्मिकों द्वारा पूर्व आवंटित मण्डल से कार्यमुक्त होकर नवीन आवंटित मण्डल में आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया है, उन्हें आज ही कार्यमुक्त करवाकर नवीन आवंटित मण्डल में कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में मण्डल आवंटन के पश्चात आपके मण्डल में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनका रिशफल मण्डल आवंटन के पश्चात मण्डल परिवर्तित हो गया है उक्त सभी कार्मिकों को आप द्वारा नवीन मण्डल हेतु कार्यमुक्त कर दिये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र आज ही ई–मेल ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

(श्यामसुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com